

I/65463/2022

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

RBE No. 50/2022

PCPO's SI No.49/2022

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/8/2022 Com.No.162637)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:-Amendments in the norms of minimum qualifications for recruitment/ Promotion of teachers for classes I to VIII in Railway Schools(Primary and Trained Graduate Teachers).

संदर्भ:-Railway Board's letter No-E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(Pt),dated 12.04.2022.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj

(मनोज कुमार चौधरी)

Ku Choudhary

सकाधि/ईएसएम

Date: 29-04-2022 15:30:42

कृते महाप्रबंधक (का0) हाजीपुर

Reason: Approved

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 50/2022

सं. ई(पी एंड ए)I-2012/पीएस-5/पीई-3(पार्ट)

नई दिल्ली, दिनांक: 12.04.2022

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: रेलवे विद्यालयों में कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों (प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) की भर्ती/पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के मानदंडों में संशोधन।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 09.12.2013 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2012/पीएस-5/पीई-3 (आरबीई सं. 127/2013)।

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई थी, जो शिक्षकों की इन कोटियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की दिनांक 23.08.2010 एवं 29.07.2011 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की दिनांक 23.08.2010 एवं 29.07.2011 की अधिसूचनाओं को उनके दिनांक 28.06.2018, 13.11.2019 एवं 13.10.2021 की अनुवर्ती अधिसूचनाओं द्वारा आगे संशोधित किया गया है।

2. तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 09.12.2013 के पत्र के अनुलग्नक में अंतर्विष्ट मौजूदा न्यूनतम अर्हताओं को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा उनकी दिनांक 28.06.2018, 13.11.2019 एवं 13.10.2021 की अनुवर्ती अधिसूचनाओं में किए गए संशोधन के अनुरूप अद्यतन करने के मामले की जांच की गई है और इन अर्हताओं को इस पत्र के अनुलग्नक में यथा उल्लिखित अनुसार अद्यतन करने का विनिश्चय किया गया है। अन्य मौजूदा अर्हताओं में कोई बदलाव नहीं है।

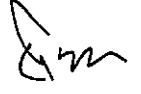
3. न्यूनतम अर्हताओं से संबंधित ये संशोधित मानदंड इस-पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। पहले से आरंभ किए गए चयनों को पहले से जारी अधिसूचनाओं के आधार पर आयोजित किया जाएगा और अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह माह का ब्रिज कोर्स, जो प्राथमिक शिक्षक (कक्षा I से V के लिए) के रूप में नियुक्त होने के दो वर्षों के भीतर करना अनिवार्य है से संबंधित मध्य रेलवे के प्रश्न के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान में किसी भी संस्थान द्वारा छह माह का ब्रिज कोर्स आयोजित नहीं किया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इस कोर्स के लिए मानक एवं मानदंड और पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है जिसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है। अतः सभी रेलों को सूचित किया जाता है कि जब तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा छह माह का ब्रिज कोर्स आयोजित नहीं जाता है, तब तक बोर्ड के दिनांक 09.12.2013 के पत्र में यथा अंतर्विष्ट प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में

मौजूदा प्रावधानों को पालन किया जाए। इससे मध्य रेलवे के दिनांक 29.09.21 के पत्र सं. पी/सीआर-एचक्यू/डब्ल्यू/458/केवाईएन का निपटान हो जाता है।

5. कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त



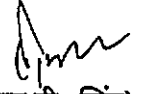
(एन.पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक स्थापना (पी एंड ए),
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)-2012/पीएस-5/पीई-3(पार्ट)

नई दिल्ली, दिनांक: 12.04.2022

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां आदि को प्रतिलिपि प्रेषित



(एन.पी. सिंह)

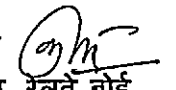
संयुक्त निदेशक स्थापना (पी एंड ए),
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)-2012/पीएस-5/पीई-3(पार्ट)

नई दिल्ली, दिनांक: 12.04.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13- सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रीआ, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा सं.341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
11. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001।
13. ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन।
14. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।
15. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।

नवीन 
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

- (I) बोर्ड के दिनांक 09.12.2013 के पत्र के अनुलग्नक में दिये गए प्वाइंट '1. रेलवे विद्यालयों में अध्यापन से संबंधित पदों के लिए अर्हता' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

1. रेलवे विद्यालयों में अध्यापन से संबंधित पदों के लिए अर्हता

क. प्राथमिक शिक्षक (रु. 9300-34800 + 4200/4600/4800) {कक्षा I - V} :-

i. कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से हो)

अथवा

कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से हो)।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री (बी.ईएल.एड.)।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्ष का डिप्लोमा।

अथवा

स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक (बी.एड.)

अथवा

कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष ग्रेड और तीन वर्ष का एकीकृत बी.एड. - एम.एड.

और

ii. एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) में पास।

ख. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (रु. 9300-34800 + 4600/4800/5400) {VI-VIII कक्षा} :-

i. स्नातक (अध्यापन विषय में) तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) अथवा स्नातकोत्तर (अध्यापन विषय में) और बी.एड.

अथवा

कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन के अनुसार 1 वर्ष की बी.एड. डिग्री।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और 4 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा में स्नातक (बी.ईएल.एड.) डिग्री

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और 4 वर्ष की बी.ए./बी.एससी.एड अथवा बी.ए.एड/बी.एससी.एड.।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और 1 वर्ष की बी.एड. डिग्री (विशेष शिक्षा)

अथवा

कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर (अध्यापन विषय में) अथवा समकक्ष ग्रेड और तीन-वर्ष की एकीकृत बी.एड-एम.एड.।

और

ii. एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) में पास।

बशर्ते कि स्नातक में न्यूनतम प्रतिशत अंक उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगे जो 09 दिसम्बर 2013 के पहले शिक्षा स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में दाखिला ले चुके हैं

और

iii. यथा अपेक्षित माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हो।

(II) बोर्ड के दिनांक 09.12.2013 के पत्र के अनुलग्नक के प्वाइंट '3. दिया जाने वाला प्रशिक्षण' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

3. दिया जाने वाला प्रशिक्षण: कोई व्यक्ति जिसने -

(क) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शिक्षा स्नातक की अर्हता प्राप्त की हो की कक्षा I से V में शिक्षक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह माह के ब्रिज कोर्स में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(ख) डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले को नियुक्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6-माह के विशेष प्रोग्राम में भाग लेना होगा।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन-वर्ष की एकीकृत बी.एड. - एम.एड. की अर्हता प्राप्त की हो, की कक्षा I से V में शिक्षक के रूप नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है:

बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्षों के भीतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह-माह के ब्रिज कोर्स में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा।

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(pt)

RBE No. 50/2022
New Delhi, Dated : 12.04.2022

The General Managers,
All Indian Railways and PUs.

Sub: Amendments in the norms of minimum qualifications for recruitment/ promotion of teachers for classes I to VIII in Railway Schools (Primary and Trained Graduate Teachers).

Ref: Railway Board's letter No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3 dated 09.12.2013 (RBE No. 127/2013).

Attention is invited to Railway Board's letter under reference vide which the minimum qualifications for recruitment/ promotion of teachers for classes I to VIII were laid down in line with National Council for Teachers Education's (NCTE's) Gazette Notifications dated 23.08.2010 & 29.07.2011 for these categories of teachers. NCTE's notifications dt. 23.08.2010 & 29.07.2011 have further been amended vide their subsequent notifications dated 28.06.2018, 13.11.2019 & 13.10.2021.

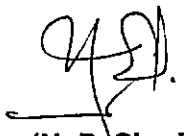
2. Accordingly, the issue of updating the existing minimum qualifications contained in the Annexure of Board's letter dated 09.12.2013 in line with those amended by NCTE in its subsequent notifications dated 28.06.2018, 13.11.2019 & 13.10.2021 has been examined and it has been decided to update these qualifications as indicated in the annexure to this letter. There is no change in other existing qualifications.

3. These revised norms of minimum qualifications will take effect from the date of issue of this letter. Any selections already initiated would be conducted and finalized based on the notifications already issued.

4. In the context of Central Railway's query pertaining to the six-month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE which is mandatory for appointment as primary teacher (for Classes I to V) within two years of such appointment as primary teacher, it is stated that at present the six-month Bridge Course is not being conducted by any of the Institutions and that NCTE is developing the norms & standards and curriculum for the said course which may take some time to finalize. Therefore, all Railways are advised to follow the existing provisions in regard to appointment of primary teachers as contained in Board's letter dated 09.12.2013 till such time the six-month Bridge Course is conducted by the National Institute of Open Schooling (NIOS). This disposes of Central Railway's letter No. P/CR-HQ/W/458/KYN dated 29.09.21.

5. Please acknowledge receipt.

DA: As above


(N. P. Singh)
Jt. Director Estt.(P&A),
Railway Board

Copy to the FA & CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.


 (N. P.) Singh
 Jt. Director Estt. (P&A),
 Railway Board
Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association, R.No.402, Rail Bhawan.
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. All India O.B.C. Railway Employee's Association.
14. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
15. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.


 for Secretary, Railway Board
Copy to : PSOs/Sr. PPSs/PPSS/PSs/PAs to :-

MR, MoSR (J), MoSR (D), CRB & CEO, Member Finance, Member Infra., Member (T&RS), Member (O&BD), Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Addl. PS/MR, Addl. PS/MoSR(J), DPG/MoSR(J), Secretary, DG(RHS), DG(RPF), DG(Safety), AM(HR), AM/PU, AM (F), AM/Works, AM/RS, AM/Traffic Transportation, AM(CE), AM(Budget), AM(Mech. Engg.), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Plg.), AM/Revenue, AM/Signal, AM/C, AM/L&A, AM/EnHM, AM/RE, AM/Traction, AM/Marketing & Business Development, PED/IR, PED/Chg., PED/TTM, PED/Bridge, PED/Signal, PED/SD, PED/Accounts, PED/EE(RS), PED/Trg.&MPP, PED/Health, PED/Vigilance, PED/Infra, PED/Safety, ED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&S), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(EEM), EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), ED(EEM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg), EDME(Frt.), EDME(Trg.), EDME(Dev), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(P), EDRS(G), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), ED/Track(M), ED/Track(MC), ED/Track(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), ED(ERP), ED(Innovation), ED/Traffic & Comml. (EnHM), ED/Elec./Transformation, ED(NFR/TC), IG/RPF(HQs), IG/RS, JS, JS(D), JS(E), JS(G), JS(P), DPC-I, DPC-II, DE(N), DF(CCA), DF(A/Cs), DE(G), DE(N), DPR, JDE(G), JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL), JDPC-II, JDE(W), JDF(B), JDF(E), JDE(N), JDE(Res), JD(MPP), JDE(GP), DS(G), DS(Parl), US(A), PAO, DDE(D&A), JDE(RRB), DDE(Sports), DDE(N), DDE(LR)I, DDF(E)I, II, & III, DD(H), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(W), DDPC-V, DDPC-VII, DDE(Trg.).

(Authority: NCTE's Gazette Notifications dated 28.06.2018, 13.11.2019 and 13.10.2021)

Annexure

- (I) For point '1. QUALIFICATIONS FOR TEACHEING POSTS IN RAILWAY SCHOOLS' of Annexure of Board's letter dated 09.12.2013, the following shall be substituted, namely:-

1. QUALIFICATIONS FOR TEACHING POSTS IN RAILWAY SCHOOLS

A. Primary Teachers (Rs. 9300-34800 + 4200/4600/4800) {Classes I - V} :-

- i. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education)

OR

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.)

OR

Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed.

AND

- ii. Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

B. Trained Graduate Teachers (Rs. 9300-34800 + 4600/4800/5400) {Classes VI - VIII} :-

- i. Graduation (in the teaching subject) and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

At least 50% marks either in Graduation (in the teaching subject) or in Post-Graduation (in the teaching subject) and B.Ed.

OR

Graduation (in the teaching subject) with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-years B.A./B.Sc.Ed or B.A.Ed./B.Sc.Ed.

OR

Graduation (in the teaching subject) with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education)

OR

Post-Graduation (in the teaching subject) with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed.

AND

ii. Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

Provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course prior to the 09th December, 2013.

AND

iii. Competence to teach through the medium/media as required.

(II) For point '3. Training to be undergone' of Annexure of Board's letter dated 09.12.2013, the following shall be substituted, namely:-

3. Training to be undergone:- A person –

(a) who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher.

(b) with D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment an NCTE recognized 6-month Special Programme in Elementary Education.

(c) who has acquired the qualification of three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from any National Council for Teacher Education recognised institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V:

Provided that the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six-month Bridge Course in Elementary Education recognised by the National Council for Teacher Education, within two years of such appointment as primary teacher.
